राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

''सामाजिक सुरक्षा विषय पर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण''

(28.08.2017 से 30.08.2017)

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 28.08.2017 से 30.08.2017 तक **"सामाजिक सुरक्षा"** विषय पर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन सत्र में कोर्स निदेशक श्रीमती अनुकृति उज्जैनियॉ ने प्रशिक्षण के उद्देश्यो के बारे में अवगत करवाया।

प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में श्री के.एल. शर्मा विभागाध्यक्ष (मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र) राजस्थान विश्वविधालय, जयपुर ने **वृद्धावस्था** एवं इससे सम्बन्धित शारीरिक, मानसिक एवं विषम सामाजिक परिस्थितियों पर जानकारी दी। उन्होनें सुरक्षा के लिए प्रभावी **वरिष्ठ नागरिक एवं अभिभावकों की देखरेख एवं जीवनयापन कानून 2007** पर विस्तृत चर्चा की।

श्री भगवान सहाय शर्मा, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ने सामाजिक सुरक्षा के **राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भो** के बारे में बताया। उन्होने सामाजिक सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा जारी **योजनाओं** के बारे में प्रकाश डाला एवं पुलिस के सम्पर्क में आने वाले बच्चों एवं महिलाओं के लिए विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने प्रक्रियाएं समझायी।

श्रीमती देवयानी भाटी, सहायक प्रोफेसर, विधि महाविधालय जयपुर ने महिलाओं की स्थिति के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि महिलाओं की ऐसी दशा के लिए समाज में व्याप्त **लैंगिक भेदभाव** जिम्मेदार है। उन्होने सामाजिक सुरक्षा के लिए समता आधारित समाज एवं

शिक्षा को जरूरी बताया। उन्होने जेण्डर की व्याख्या करते हुए महिलाओं के पक्ष में बनायी गयी नीतियों एवं कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान की ओर से अभिप्रेरण सत्र में श्री ललित कोठारी सेवानिवृत भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, श्री अशोक भण्डारी, सेवानिवृत भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, श्री शिरीष मोदी, श्री गोविन्द गुरबानी तथा उनकी टीम ने **नेत्रदान** के संबंध में विभिन्न जानकारियां प्रदान करते हुए नेत्रदान से जुडी विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। श्री राजीव दासोत, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, आर.पी.ए. द्वारा नेत्रदान को महादान बताते हुए सभी उपस्थित अधिकारियों एवं प्रशिक्षुगणो को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया।

श्री राधाकान्त सक्सेना सेवानिवृत आई.जी.पी. (जेल) ने बन्दियों एवं उनके आश्रितों पर चर्चा करते हुए कहा कि बन्दीगृह, अपराधियों के सुधार के लिए बनाये गये है परन्तु जेलों में सुधारात्मक एवं विकासात्मक कार्यवाहियों का अभाव है। यह पक्ष बहुत ही अमानवीय है। उन्होने जेलों से बाहर भी पीडितों के लिए **राहत, सुरक्षा, पुनर्वास एवं पुर्नउद्धार** की विशेष जरूरत बतायी।

डॉ. शिव गौतम ने द्रव्य एवं नशीले पदार्थ एवं उनके उपयोग पर चर्चा की। उन्होने प्रचलित मादक पदार्थो की प्रकृतियों एवं **व्यसनों के मानसिक एवं शारीरिक प्रभावो** के बारे में अवगत कराया। उन्होनें ऐसे व्यसनों के मुक्त होने के तरीकों एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। श्री यदुराज शर्मा एवं श्री विश्वास शर्मा, परामर्शद, राजस्थान पुलिस अकादमी ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रभावित बालकों के संरक्षण एवं पुनर्वास पर कार्यरत संस्था **"दिशा"** एवं महिलाओं के घरेलू हिंसा एवं यौन हिसाओं से सुरक्षा, परामर्श, विधिक एवं चिकित्सा सहायता के लिए कार्यरत संस्था **वन स्टाप क्राइसिस मेनेजमैन्ट सेन्टर अपराजिता** की **शैक्षणिक विजिट** करायी एवं राज्य में बच्चों एवं महिलाओं की जीवन परिस्थितियों के बारे में बताया।

श्री एम.के. देवराजन, सेवानिवृत आई.पी.एस. की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा मुद्दे, अवधारणाएं एवं मूलभूत वास्तविकता विषय पर एक विशेष **समूह चर्चा** का आयोजित किया गया। प्रो. अनिता हाड़ा सांगवान ने सामाजिक सुरक्षा की लोकतांत्रिक संदर्भो में व्याख्या करते हुए प्रत्यके सामाजिक सुरक्षा को सरकारों सहित प्रत्येक नागरिक का दायित्व बताया। श्रीमती वन्दना बागडिया ने शिशु सुरक्षा के संदर्भ में कहा कि विधिक प्रावधानों के बावजूद छोटे बच्चों सुरक्षित जीवन एवं देखरेख की सामाजिक सुरक्षा दायित्वों का निर्वाहन असंन्तोषजनक है। विशेष सत्र के अध्यक्ष श्री एम.के. देवराजन सेवानिवृत आई.पी.एस. ने सामाजिक सुरक्षा के विस्तृत क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा बहुत बड़ा है जिसमें पुलिस की भूमिका बहूत महत्वपूर्ण है। उन्होने **पुलिस में सामाजिक सुरक्षा** के लिए किये गये प्रयास जिसमें नागरिक सुरक्षा बल, सामुदायिक सम्पर्क समूह, चेंन्ज मेनेजमैन्ट इन पुलिस, नागरिक समिति, वृद्धजनों के लिए सम्बल योजना आदि सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बतायी। उन्होने सामाजिक सुरक्षा एवं नागरिकों के जीवन में बदलाव के लिए सरकार के सुरक्षा एवं विकास कार्यक्रमों को प्रभावी तत्र के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता बतायी। उन्होने प्रत्येक जन को समान अवसर एवं सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने पर बल दिया।

श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, सहायक निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी ने **लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012** के विभिन्न प्रावधानों की जानकारियां दी। उन्होने पुलिस अधिकारियों को काम के दौरान आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों एवं उनके निराकरणों के बारे में बताया।

समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री राजीव दासोत, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा के लिए ओर अधिक संवेदनशील बनाना होगा एवं पीडित एवं असुरक्षित वर्ग के लिए कार्यवाहियों को प्राथमिकता में लाना होगा तभी प्रशिक्षण की सार्थकता है। **समाज में सुरक्षा का मुख्यतंत्र पुलिस है जो पीडित एवं अपराधी को समाज की मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये।**

समापन सत्र के दौरान पुलिस अधिकारियों को **सहभागिता प्रमाण पत्र** अतिथि महोदय द्वारा वितरित किये गये। प्रशिक्षण में 23 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।